उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 17.07.2019

सचिव (ऊर्जा) श्रीमती राधिका झा की अध्यक्षता में आज दिनांक 17.07.2019 को विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में उपाकालि की विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व वसूली तथा विद्युत चैकिंग की समीक्षा बैठक आहूत हुई।

बैठक में समीक्षा के दौरान जनपद देहरादून, औद्योगिक क्षेत्र–हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं हल्द्वानी में विद्युत आपूर्ति के मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था खराब पाये जाने पर सचिव (ऊर्जा) द्वारा अत्याधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कडी फटकार लगाई। खराब विद्युत आपूर्ति पर सचिव (ऊर्जा) द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गये– 1. श्री अमित शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रूडकी 2. श्री शेखर चन्द त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हल्द्वानी 3. श्री युद्ववीर सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (सिडकुल) हरिद्वार 4. श्री मोहन मित्तल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोहनपुर 5. श्री अनुप सैनी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (नगरीय) रूड़की 6. श्री विजय कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर) देहरादून 7. श्री शशिकान्त, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड सिडकुल हरिद्वार। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था खराब होने का एक मुख्य कारण विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित फील्ड स्टाफ का कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनाती का होना भी है। *जिस पर सचिव (ऊर्जा) द्वारा इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित पाँच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारियों के स्थानान्तरण 03 दिवस के भीतर करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) को लाईनमैंनों के स्थानान्तरण 07 दिवस के भीतर करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही लेखाकारों के भी स्थानान्तरण को 10 अगस्त तक करने के निर्देश दिये। प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया कि इन स्थानान्तरणों को प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि तक अवश्य कर दिया जाय।* सचिव (ऊर्जा) द्वारा समस्त अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिये गये।

सचिव (ऊर्जा) द्वारा समस्त अधिकारियों को अपने कार्यालयों में बायोमैट्रिक व्यवस्था को क्रियाशील रखने के सख्त निर्देश दिये गये ताकि क्षेत्रीय अधिकारियों के अपने कार्यक्षेत्र में रहने की जानकारी हो सके एवं क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जा सके। साथ ही सचिव (ऊर्जा) द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा प्रदान करने में शिथिलता पायी जाने पर उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों पर कडी कार्यवाही की जाये तथा साथ ही उनकी वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाये। सितारगंज क्षेत्र में बिजली चोरी में विभागीय कर्मचारियों के साथ उपनल स्टाफ की भूमिका संदिग्ध होने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उददेश्य से क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली चैकिंग की धीमी प्रगति पर सचिव (ऊर्जा) द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि चैकिंग के लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाये एवं इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाये। मुख्य अभियन्ता स्तर से चैकिंग की समुचित प्रगति आख्या प्रेषित न करने पर मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये। सचिव (ऊर्जा) द्वारा राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं निर्देशित किया गया कि राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सचिव (ऊर्जा) द्वारा झूलते हुए विद्युत तारों को सही करने के भी सख्त निर्देश दिये गये।

सचिव (ऊर्जा) द्वारा खाली पदों पर नियुक्ति के सन्दर्भ में प्रस्ताव भेजने हेतु प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया।

सचिव (ऊर्जा) श्रीमती राधिका झा द्वारा विद्युत उपभोक्ता सेवा केन्द्र एवं स्काडा सेण्टर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉल सेण्टर 1912 एवं टोल फ्री नं0 1800–419–0405 पर प्राप्त शिकायतों पर समुचित कार्यवाही न करने पर सचिव (ऊर्जा) द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशक (परिचालन/परियोजना) एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आगामी एक माह के भीतर सुचारू रूप से क्रियान्वित कराने के लिये सख्त निर्देश दिये गये। सचिव (ऊर्जा) द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट लिखते समय इन सभी बिन्दुओं को संज्ञान में रखा जाये।

समीक्षा बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (मा0सं0), राज्य के समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) आदि उपस्थित थे।

17/7/19

(ए0के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता/
एवं मीडिया प्रभारी